145

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :2009-10 निगरानी याचिका

R-1299-II/2010

शाकीरहुसैन आत्मज मोहम्मदहुसैन आयु 36 वर्ष धन्धा कृषि - निवासी महात्मागांधी मार्ग बड़नगर जिला उज्जैन म0प्र0

------आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधीक्षक भूमि परिवर्तन उज्जैन

----अनावेदक

अधीनस्थ न्यायालय अपर राजस्व आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 195 :2005-2006 मे पारित आदेश दिनांक 3-6-2010 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका :निगरानी : अन्तर्गत - धारा 50 मध्यप्रदेश भू0राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन निम्नलिखित तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने न्यायालय - अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़नगर के न्यायालय मे भूमि सर्वेनम्बर 123:3:2 रकबा 0-36 आरे, सर्वेनम्बर 129:3:2 रकबा 2-84 हेक्टर मे से 0-173 की - कृषि भिन्न आशय के प्रयोजन के लिये एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 172 भू0राजस्व संहिता के अन्तर्गत भूमि की नोईयत परिवर्तन ।व्यपवर्तन । हेत् आवेदनपत्र पेश - किया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय से बड़नगर ने भूमि परिवर्तन का अर्थात भूमि की नोईयत मे परिवर्तन करने का आदेश पारित किया गया ।किन्तु आवेदक को भूमि के व्यपवर्तन की आवश्यकता नही होने से एवम आवेदक ने उक्त भूमि मे पेट्रोल पम्प डालने के उद्देश्य से शासन से अनुज्ञप्ति चाही थी व इस प्रयोजन

Shakir

(145) (164)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1299-दो/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 15-03-2016 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेशचंद्र चौधरी)** **सदस्य**	